पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

रंजीत ठाकुर उर्फ़ रंजीत कुमार

बनाम

बिहार राज्य

2015 की आपराधिक आवेदन (ख.पी.) सं. 807

18 सितम्बर 2023

[माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली, माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा]

विचार के लिए मुद्दा

क्या अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की अविच्छिन्न कड़ी स्थापित हुई है जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्त ने बलात्कार एवं हत्या की?

हेडनोट्स

यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53ए अनिवार्य नहीं है, किन्तु जब डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं की जाती या उसे न्यायालय से छिपाया जाता है, तो अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब पीड़िता मृत हो और अपराध को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा रहा हो, तो चिकित्सकीय साक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अभियोजन द्वारा ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत न करना, जबकि अभियुक्त या किसी अन्य द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गई, अभियोजन के मामले में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। (पैरा - 29)

हालाँकि एफएसएल ने घटनास्थल और अभियुक्त के घर से बरामद वस्तुओं से प्राप्त रक्त नमूनों की सेरोलॉजी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन वस्तुओं पर पाया गया रक्त अभियुक्त का ही था। आगे, केस डायरी से यह ज्ञात होता है कि डीएनए प्रोफाइलिंग और फिंगर प्रिंट लिए गए थे, परंतु इनकी रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई और न ही प्रदर्शित की गई। अतः अभियोजन ने यह साक्ष्य जानबूझकर न्यायालय से छिपाया, जिससे अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष आवश्यक हो जाता है। (पैरा - 30)

अपील स्वीकृत की जाती है। (पैरा - 39)

न्याय दृष्टान्त

शरद बिर्धिचंद सरडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1984 एससी 1622

अंजन कुमार शर्मा बनाम असम राज्य, (2017) 14 एससीसी 359

रवि बनाम कर्नाटक राज्य, (2018) 16 एससीसी 102

रीना हजारिका बनाम असम राज्य, (2019) 3 एससीसी 289

छोटकऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील सं. 361-362 / 2018

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 376, 302, 120बी); दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (धारा 374(2), 313, 53ए); भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (धारा 27)

मुख्य शब्दों की सूची

परिस्थितिजन्य साक्ष्य; पुलिस समक्ष इकबालिया बयान; बलात्कार और हत्या; धारा 53ए दंड प्रक्रिया संहिता; सेरोलॉजिकल रिपोर्ट; डीएनए प्रोफाइलिंग; अभियुक्त के कथन पर बरामदगी; संदेह का लाभ; फॉरेंसिक साक्ष्य; साक्ष्य की श्रृंखला

प्रकरण से उत्पन्न

कठैया थाना कांड संख्या 14 / 2013, जिला: मुजफ्फरपुर

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अभियुक्त की ओर से: श्री नफीसुज्जोहा, श्री मो. नौशादुज्जोहा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री सुजीत कुमार सिंह, ए.पी.पी.

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का आपराधिक आवेदन (ख. पी.) सं. 807

कठैया थाना कांड सं. -14 वर्ष-2013 जिला- मुज़फ़्फ़रपुर

==========

रंजीत ठाकुर @ रंजीत कुमार , पिता - स्वर्गीय दुखित ठाकुर निवासी गाँव- कुरिया, थाना - कठैया , जिला- मुज़फ़्फ़रपुर

..... अपीलकर्ता

बनाम

बिहार सरकार

..... उत्तरदाता

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी के : श्री नफिसुज़ोहा, अधिवक्ता

: श्री मो. नौशादुज़ोहा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, स. लो. अ.

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

तथा

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीखः18-09-2023

यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 374 (2) के तहत , मुजफ्फरपुर के अपर सत्र न्यायाधीश VII द्वारा कथैया थाना कांड सं. 14 वर्ष 2013 से उद्भूत 2013 का सत्र वाद सं. 523 में , 16 जुलाई, 2015 को पारित दोषी ठहराए जाने के निर्णय तथा सजा के आदेश, के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत संबंधित विचारण न्यायालय ने एकमात्र अपीलकर्ता रंजीत ठाकुर उर्फ रंजीत कुमार को भा. द. वी. की धारा 376,302,120बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है तथा उन्हें भा. द. वी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए 10,000/- रु. के जुर्माने के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, और जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें छह महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास से गुजरना होगा। उसे आगे दोषी ठहराते हुए उसकी मृत्यु तक आजीवन कारावास और Rs.10,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर छह महीने के लिए

कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी, संक्षेप में, इस प्रकार हैः

"06.03.2013 को लगभग 09:00 (अप.) बजे सूचीका अपनी मृत पुत्री दीपू कुमारी और नाबालिग पुत्र राहुल के साथ रात का खाना खाने के बाद दक्षिणी तरफ के कमरे में, दीपू कुमारी दक्षिण-पूर्वी तरफ के कमरे तथा उसका पुत्र राहुल उत्तर-पूर्वी तरफ के कमरे में सो गए थे। जब वह स्वाभाविक क्रिया के लिए उठी तो उसे दीपू कुमारी अपने कमरे में नहीं मिली, वह उसकी तलाश करने लगी और जब उसे दीपू कुमारी का कुछ पता नहीं चला, तो उसने अपने बेटे राहुल को बुलाया और दोनों ने दीपू कुमारी की तलाश की तथा उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किसी को भी उक्त घटना के बारे में नहीं बताया और उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया। जब वह सुबह तक नहीं लौटी, तो उसका बेटा राहुल उसकी तलाश में देवरिया रोड, बरूराज और ठिका की ओर गया। इस बीच, उसकी ग्रामीण सरोज देवी ने उसे टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया कि दीपू कुमारी का शव उसके घर के पीछे पड़ा है और इस पर उसका बेटा राहुल उसके घर लौटा और सूचीका को बताया कि दीपू सरसों के खेत में मृत पड़ी है। वह अपने बेटे राहुल के साथ वहाँ गई तो देखा की मृत बेटी दीपू कुमारी का गला काटा हुआ था और उसके शव के बगल में एक ब्लेड भी मिला था।"

3. एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद अनुसंधानकर्ता ने जाँच शुरू की। जाँच के दौरान उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए। मृतक के शव को *पोस्टमार्टम* के लिए भेज दिया गया । शव को *पोस्टमार्टम* के लिए भेजने से पहले *पंचनामा* भी तैयार किया गया था। अनुसंधान समाप्त होने के बाद, अनुसंधानकर्ता ने संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया । चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी ने इसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे 2013 के सत्र वाद संख्या 523 के रूप में दर्ज किया गया।

4. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों यथा- अ.स.1- राहुल कुमार सिंह, अ.स. 2- सरोज देवी, अ.स. 3 - शंकर सिंह, अ.स.4 - कृष्ण सिंह, अ.स. 5 - प्रियंका देवी, अ.स.6 - लक्ष्मी सिंह, अ.स. 7- इंदिरा देवी, अ.स.8 - डॉ. संजय कुमार गुप्ता, अ.स.9 - डॉ. बिपिन कुमार, अ.स.10 - राम नारायण शर्मा, अ.स. 11- संदीप सिंह, अ.स. 12- मिथलेश कुमार, अ.स. 13- अनुलिका कुमारी का परीक्षण किया और दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया । अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद, संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थी-अभियुक्त का आगे का बयान दर्ज किया गया। बचाव पक्ष ने भी व.सा.- 1 सुरेश ठाकुर और व.सा.-2 चंपा कुवर का परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ मौखिक साक्ष्य पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय

ने दोषसिद्धि का विवादित आदेश पारित किया, जैसा कि यहाँ ऊपर पाया गया । इसलिए एकमात्र अपीलार्थी-दोषी ने वर्तमान अपील दायर की है।

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नफिसुज़ोहा और उनके सहायक मो. नौषादूजोहा तथा प्रतिवादी-राज्य की और से विद्वान स.लो.अ. श्री सुजीत कुमार सिंह की दलीलें सुनी हैं ।

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में, विचाराधीन घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों का उल्लेख किया और उसके बाद प्रस्तुत किया कि सूचीका , जो मृतक लड़की की मां है तथा मृतक का भाई भी विचाराधीन घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं।

7. अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की श्रृंखला यह साबित करने के लिए पूरी नहीं है कि अपीलार्थी ने ही बलात्कार करने के बाद मृतक की हत्या की है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) की धारा-53ए में निहित प्रावधानों का भी पालन नहीं किया है। अपीलार्थी-अभियुक्त को डॉक्टर के समक्ष चिकित्सीय जाँच के लिए नहीं भेजा गया था। इस स्तर पर, आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि अपीलार्थी-अभियुक्त का रक्त नमूना एकत्र किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी-अभियुक्त के रक्त समूह को दिखाने वाले दस्तावेज़ को प्रदर्शित नहीं किया है। यहां तक कि अपीलार्थी-अभियुक्त का डी. एन. ए. प्रोफाइल भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ऐसी अवस्था में, अपीलार्थी के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी-अभियुक्त को पुलिस के समक्ष दिए गए स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर दोषी ठहराया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि यह आरोप लगाया जाता है कि अपीलार्थी के घर से अंतःवस्त्र के साथ-साथ गमछा भी जब्त किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि उक्त वस्तुओं पर पाया गया खून और वीर्य या तो मृतक का था या अपीलार्थी का था। अतः विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश पारित करते समय एक त्रुटि की है और इसलिए, उक्त निर्णय और आदेश को रद्द तथा अपास्त कर दिया जाए ।

8. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622** में प्रतिवेदित, **अंजन कुमार सरमा बनाम असम राज्य, (2017) 14 एस. सी. सी. 359** में प्रतिवेदित, **रवि बनाम कर्नाटक राज्य, (2018) 16 एस. सी. सी. 102** में प्रतिवेदित तथा **रीना हजारिका बनाम असम राज्य (2019) 3 एससीसी 289**

में प्रतिवेदित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों पर भरोसा रखा है। विद्वान अधिवक्ता ने वर्ष 2018 के आपराधिक अपील सं. 361-362 **छोटकऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, में 28 सितंबर,2022 को दिए गए निर्णय पर भी विश्वास जताया है।

9. दूसरी ओर, विद्वान स.लो.अ. ने इस अपील का विरोध, यह तर्क देते हुए किया है कि हालांकि विचाराधीन घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ मामले को ठोस और प्रासंगिक सबूत पेश करके उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसने पुलिस अधिकारियों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हालाँकि, इसके बाद, उक्त स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर, जब अनुसंधानकर्ता ने ऐसी सामग्री एकत्र की है जो अपीलार्थी-अभियुक्त के कथन की पुष्टि करती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा गलत तरीके से दोषी ठहराया गया है। ऐसा बताया गया है कि मृतक की चप्पल अपीलार्थी के बताने पर बरामद की गई थी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के तहत खोज *पंचनामा* अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि जाँच अधिकारी ने मृतक के कपड़े और वीर्य जो शव के पास पाया गया था, उसे भी आवश्यक जाँच के लिए एफ. एस. एल. को भेज दिया है। इसके अलावा, अपीलार्थी के अंतःवस्त्र के साथ-साथ *गमछा* सहित कुछ वस्तुओं को भी अपीलार्थी के घर से जब्त किया गया था। इन्हें भी एफ. एस. एल. को आवश्यक जांच के लिए भेजा गया था। विद्वान स.लो.अ. ने एफ. एस. एल. रिपोर्ट/सीरोलॉजिकल रिपोर्ट का उल्लेख किया है । इन सामग्रियों का उल्लेख करने के बाद, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न स्थानों से जब्त/एकत्र की गई सभी वस्तुओं पर मानव रक्त में एंटीजन-ए और एंटीजन-बी पाया गया था। उसी के आधार पर अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित किया है। अतः विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का विवादित आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए विद्वान स.लो.अ. ने इस अपील को खारिज करने का आग्रह किया।

10. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए सम्पूर्ण साक्ष्य का भी अवलोकन किया है। अभिलेख से यह ज्ञात होगा कि विचाराधीन प्राथमिकी अ.सा.- 7, मृतक की माँ - इंदिरा देवी के द्वारा दायर की गई है, जिसमें उन्होंने किसी भी आरोपी का नाम नहीं दिया था। हालाँकि, जाँच के दौरान, अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अनुसंधानकर्ता द्वारा उसका स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया गया है। अ.सा.- 7, इंदिरा देवी ने न्यायालय के समक्ष गवाही दी है कि विचाराधीन घटना उनके बयान की तारीख से 10 महीने पहले हुई थी जब उनका परिवार रात का खाना खाने के बाद सोने गया था। जब वह आधी रात को उठी तो उसने अपनी बेटी को उसके

शयनकक्ष में सोते हुए नहीं पाया और अपने बेटे के साथ खोज करने पर उसे अपनी बेटी नहीं मिली। उसने रात के समय पड़ोसियों को सूचित नहीं किया। इसके बाद उन्होंने सुबह उसकी बेटी की तलाश शुरू की। आगे यह कहा गया है कि उसका बेटा राहुल सुबह के समय अपने चाचा की मोटरसाइकिल पर उसकी बेटी की तलाश करने गया था। उस समय उनकी पड़ोसी सरोज देवी ने उन्हें बताया कि उनके घर के पिछवाड़े में सरसों के खेत में एक शव पड़ा हुआ है। जब वह खेत में पहुंची तो उसे अपनी बेटी का शव मिला। उसका मुंह बांध दिया गया था और गर्दन को एक ब्लेड से काट दिया गया था जो शव के पास पाया भी गया था। उनकी बेटी का पैंट खुला हुआ था। इसके बाद, सरोज देवी ने राहुल को इसके बारे में सूचित किया। यह ज्ञात होता है कि किसी ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया है और उसके बाद उसकी गर्दन काट दी है। पुलिस द्वारा उनका बयान दर्ज किया गया जो उसके सामने पढ़ा गया था और उसने उक्त शिकायत पर अपने अंगूठे का निशान लगाया।

प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने कहा था कि उसकी बेटी की उम्र लगभग 15 साल थी और वह नौवीं कक्षा में पढ़ रही थी। घटना की रात जब उसे अपनी बेटी अपने शयनकक्ष में नहीं मिली, तो उसने प्रतिष्ठा के हनन के डर से परिवार में से किसी को नहीं बताया। उसने आगे कहा है कि उसके परिवार का आरोपी के साथ कोई संपर्क नहीं था और न ही उसकी कोई दुश्मनी थी।

11. अ.सा. 1 राहुल कुमार सिंह मृतक का भाई है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना 6 मार्च, 2013 की रात के समय हुई थी। उस समय वह अपने कमरे में सो रहा था । उसकी माँ और उसकी बहन भी दूसरे कमरों में सो रही थी । जब उक्त गवाह की माँ आधी रात को जागी, तो उसे दीपू नहीं मिली और इसलिए, उन्होंने उसे घर में खोजा, हालांकि, पड़ोसियों को सूचित नहीं किया। अगली सुबह वह अपनी बहन की तलाश में अपने चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर गया। उस समय, पड़ोसी सरोज देवी ने उन्हें टेलीफोन पर सूचित किया कि उनकी बहन का शव एक खेत में पड़ा है। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसे अपनी बहन का शव मिला। उसकी बहन का मुंह बांध दिया गया था और गर्दन काट दी गई थी। एक स्टेनलेस स्टील का ब्लेड भी शव के पास पाया गया था । जमीन पर वीर्य जैसा सफेद पदार्थ भी पाया गया था। पुलिस ने घटनास्थल से ब्लेड और खून से सना मिट्टी और अन्य सामग्री एकत्र किया और जब्ती सूची तैयार की। उसने उक्त जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किया। उक्त गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की। कथित गवाह ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि वह विचाराधीन घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। अभियुक्तों के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है।

12. अ.सा.- 2 सरोज देवी मृतक की पड़ोसी है। उक्त गवाह ने अपने बयान में कहा है कि जब वह 07.03.2013 की सुबह खाना बना रही थी, तो उसने सरसों के खेत के पास *हल्ला* का आवाज सुना और इसलिए, वह उक्त खेत में गई और उस समय उसने पाया कि दीपू कुमारी उस जगह पर मृत पड़ी थी और उसका मुंह बंधा हुआ था और गर्दन काट दी

गई थी। पैंट खुला था और वह मर चुकी थी। शव के पास खून के धब्बे पाए गए। खून भी मिला था। इसके बाद उसने राहुल को फोन पर घटना की जानकारी दी। उसने आगे कहा कि अपीलार्थी का घर दीपू के घर के पास है और दीपू का शव मिलने के बाद, रंजीत कुमार (यहाँ अपीलार्थी) लापता था। जब पुलिस ने उक्त गवाह की उपस्थिति में रंजीत कुमार से पूछा, तो उसने स्वीकार किया कि उसने दीपू की हत्या की थी। इसके बाद, पुलिस ने अपीलार्थी - अभियुक्त के घर से अपीलार्थी का खून से सने कपड़े को जब्त कर लिया। उसने अपीलार्थी की पहचान की जो न्यायालय में मौजूद था। प्रतिपरीक्षण में, उसने यह भी कहा है कि उसने किसी भी समय दीपू के साथ अपीलार्थी- अभियुक्त को नहीं देखा था।

13. अ.सा.- 3 शंकर सिंह वह गवाह हैं जिन्होंने जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किया है। उक्त गवाह ने कहा कि उसकी उपस्थिति में पुलिस ने अपीलार्थी- अभियुक्त के कपड़े और मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे। पुलिस ने *गमछा, गंजी* और पैंट को भी जब्त कर लिया और अपीलार्थी के कपड़ों पर खून के धब्बे थे। उक्त गवाह ने जब्ती ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा , मृतक के घर के पीछे की ओर से एक महिला का चप्पल मिला जो केले के पत्तों से ढकी हुई थी। उक्त चप्पल की पहचान सूचीका द्वारा की गई । उक्त गवाह ने यह भी कहा कि चप्पल अपीलार्थी के बताने पर मिली थी और उस समय वह मौजूद था।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने कहा है कि पुलिस द्वारा उसकी उपस्थिति में जब्त की गई वस्तुओं को अदालत के समक्ष उसके परीक्षण के दौरान उसे नहीं दिखाया गया है और मृतक के परिवार और अपीलार्थी के परिवार के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी।

14. अ.सा.- 4, कृष्ण सिंह पंचनामे के दूसरे गवाह हैं। उक्त गवाह ने ठीक वही बात कही है जो अ.सा.- 3, शंकर सिंह ने गवाही दी थी।

15. अ.सा.- 5 प्रियंका देवी मृतक दीपू की छोटी बहन हैं। उसने कहा है कि उसे अपनी बहन की मृत्यु की जानकारी 07.03.2013 को मिली थी। उस समय वह अपने ससुराल में थी। उसकी मां ने उसे फोन पर घटना की जानकारी दी। इसलिए, वह अपने मायके आ गई । जब वह घटना स्थल पर पहुंची तो उसे अपनी बहन दीपू का शव मिला। इसके बाद, संबंधित डी. एस. पी. खोजी कुत्ते के साथ घटना स्थल पर आये और उक्त कुत्ता रंजीत (यहाँ अपीलकर्ता) के दरवाजे तक गया। इसके बाद पुलिस ने रंजीत की तलाशी ली, जिसे 11 मार्च, 2013 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, पुलिस ने रंजीत से पूछताछ की और उस पूछताछ के दौरान, रंजीत ने ग्रामीणों और कथित गवाह की उपस्थिति में पुलिस के सामने बताया कि उसने दीपू के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद, पुलिस ने अपीलार्थी के घर से खून से सने कपड़े यानी उसके पैंट, *गंजी*, अंडरवियर और *गमछा* जब्त कर लिया । केले के पत्तों के नीचे दीपू की चप्पल भी पाई गई थी।

प्रतिपरीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने कहा है कि पुलिस के सामने दिए गए अपने बयान में, उसने यह नहीं कहा था कि रंजीत ठाकुर ने उसकी उपस्थिति में अपना अपराध स्वीकार किया था। उसने पुलिस के सामने, अपीलार्थी के घर से उसके कपड़े और *गमछा* जिसमें खून के धब्बे हैं, की जब्ती के बारे में भी नहीं बताया था। ।

16. अ.सा.- 6, लक्ष्मी सिंह जब्ती-सूची के गवाह हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति में अपीलार्थी के घर से जब्त/एकत्र की गई वस्तुओं का विवरण दिया है।

17. अ.सा.- 8, डॉ. संजय कुमार गुप्ता डॉक्टर हैं जिन्होंने विजय प्रसाद, लिपिक की उपस्थिति में और पु.अ.नि. राम नारायण शर्मा के अनुरोध पर अपीलार्थी-अभियुक्त के रक्त के नमूने की जांच की। उसने आरोपी के रक्त का नमूना केवल लिया था, लेकिन उसकी जांच नहीं की थी क्योंकि वह उसके सामने पेश नहीं किया गया था।

18. अ.सा.- 9, डॉ. बिपिन कुमार राय डॉक्टर हैं जिन्होंने मृतक दीपू कुमारी के शव का *पोस्टमार्टम* किया था। उन्हें निम्नलिखित चोटें मिली :

"I. गर्दन के सामने और बीच में थायराइड उपास्थि के ठीक ऊपर एक कटा हुआ घाव 4 "x1" गहरा । घाव के किनारों स्पष्ट तौर पर कटा हुआ , मांसपेशियों की रक्त वाहिकाएं और श्वासनली कटा हुआ। श्वासनली वलय पर कटे का निशान था। गुहामें खून की उपस्थिति।

II. घर्षणः-"निचले होंठ के निचले हिस्से पर 1x1/2"x1/2" और 1/2 "x1/4"।

III. लैबिया माज़ोरा (योनि) के दाहिने तरफ घर्षण 1/2"x1/4"

IV. लैबिया माज़ोरा के ऊपर घर्षण-1/2 "x1/4" और रक्त मिश्रित तरल पदार्थ की उपस्थिति के साथ योनि की दीवार पर बलारोपण।

राय- मृतक की मृत्यु उपर्युक्त चोटों के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और आघात के कारण हुई।

चोट संख्या 1 तेज धारदार हथियार द्वारा तथा अन्य चोटें कठोर और कुंद वस्तु के प्रभाव के कारण हुए थे।

19. अ.सा.- 10 राम नारायण शर्मा प्रस्तुत वाद के अनुसंधानकर्ता हैं। उन्होंने अपने गवाही में कहा है कि मामले के लिए अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, उन्होंने घटना स्थल (सूचीका का घर जहां मृतक सोई हुई थी और जिस स्थान पर मृतक का शव मिला था (पवन सिंह का खेत)) का दौरा किया और जांच की और फिर से सूचीका का बयान लिया। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें मृतक के सिर के पास जमीन पर खून के धब्बे और सरसों की फसल मिली थी, जिससे संकेत मिलता है कि पीड़िता को कहीं और मारा गया था और बाद में उसे वहां ले जाया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने घटना स्थल से विजय स्टेनलैस ब्लेड और ब्लेड कवर के अलावा खून से सना हुआ मिट्टी बरामद की थी और एक जब्त सूची तैयार की थी, जिसे 1/7 (ए) प्रदर्शित

किया गया था। उन्होंने मौके पर नाले के पास से वीर्य जैसा पदार्थ भी बरामद किया-प्र.-1/8 5.अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय उसने खून से सना *गमछा, गंजी, अंडरवियर* और मोबाइल पाया जिसे प्रदर्श -1/9 के रूप में प्रदर्शित किया गया । उन्होंने कंडिका 17 में आगे कहा है कि उन्होंने गिरफ्तार अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया और उसे पढ़कर सुना दिया जिस पर आरोपी ने विधिवत हस्ताक्षर किए थे। (प्र. -5)। उसने निगरानी इकाई की मदद से अभियुक्त के कॉल का विवरण भी निकाला है। उसने सामग्री (मृतक के घर से खून से सना छड़, खून से सना मिट्टी, मृतक के कपड़े, आरोपी के कपड़े, आरोपी के खून के नमूने के साथ अन्य जब्त की गई सामग्री) एफ. एस. एल. को परीक्षण के लिए भेजी थी, उसे एफ. एस. एल. रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

अपनी प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने कहा है कि स्वीकारोक्ति बयान अभियुक्त की लिखावट में नहीं लिखा गया था, हालांकि अभियुक्त ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने मृतक के शरीर से कोई रक्त और वीर्य का नमूना नहीं लिया है। उसे मृतक की पैंटी पर वीर्य का कोई निशान भी नहीं मिला। अभियुक्त के कपड़ों पर खून के धब्बे मिलने के बाद ही उसने अभियुक्त के कपड़े जब्त किए थे। अभियुक्त के कॉल विवरण में उसे दो कॉल लॉग मिले थे- अभियुक्त की बहन और मृतक की माँ का ।

20. अ.सा.- 11, संदीप सिंह एफ. एस. एल. के प्रयोगशाला अधिकारी हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी टीम के साथ घटना स्थल से रक्त के नमूने एकत्र किए थे और विभिन्न प्रदर्शनों को चिह्नित किया था, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उन्होंने मुख्य रूप से स्वयं रक्त के नमूनों की जांच की, हालांकि आमतौर पर वे लोग अपनी प्रयोगशाला में रक्त की जांच करते हैं। वह इस बारे में निश्चित नहीं थे कि मृतक के हैंडपंप पर किसका खून था, न ही वह इस बारे में निश्चित थे कि खिड़की की छड़ और मिट्टी में किसका खून था।

21. अ.सा. - 12, मिथिलेश कुमार , फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, पटना में काम करने वाले एक अधिकारी, ने अपने प्रमुख-परीक्षण में कहा है कि घटना स्थल से एकत्र किए गए रक्त के धब्बों को जांच के लिए भेजा गया था और उक्त पत्र में उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। उक्त गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की। प्रतिपरीक्षण के दौरान, उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि जाँच प्रतिवेदन में किसी का नाम नहीं है। आगे कहा जाता है कि उन्होंने रक्त और वीर्य की जांच की जो एकत्र किए गए थे। हालाँकि, उन्होंने उक्त रक्त या वीर्य की तुलना दूसरों के रक्त या वीर्य से नहीं की।

22. अ.सा.- 13, अनुलिका कुमारी भी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पटना में कार्यरत एक अधिकारी थीं। उक्त अधिकारी और दल के सदस्यों ने घटना स्थल से खून का नमूना जब्त किया। उक्त गवाह ने भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए और उसने अपने हस्ताक्षर की पहचान की। प्रतिपरीक्षण के दौरान, यह कहा जाता है कि उसके बाद टीम के सदस्यों में से एक, संदीप सिंह द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी।

23. बचाव पक्ष ने भी दो गवाहों, से पूछताछ की है। अर्थात्, व. सा.-1 , सुरेश ठाकुर और व. सा.- 2 चंपा कुएर ।

23.1 व. सा.-1, सुरेश ठाकुर ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि अपीलार्थी-अभियुक्त उसका बहनोई है। घटना के दिन, वह अपने ससुराल में था। रंजीत ठाकुर उनके बगल में सो गए। हम 09:00 बजे से लगातार साथ थे। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे कहा है कि उसे सुबह तक घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे कहा कि रात के 12:00 बजे , मृतक की माँ अपीलार्थी को बुलाने आई और अपीलार्थी ने जवाब दिया कि मैं सो रहा हूँ और वह उसके साथ नहीं गया। व. सा.- 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे कहा कि रंजीत रात में लगातार उसके साथ था।

24. व.सा.-2, चंपा कुएर ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि वह बालेंद्र सिंह की पत्नी इंदिरा देवी को जानती हैं। इंदिरा देवी की बेटी की हत्या कर दी गई थी। वह यह नहीं बता सकी कि कितने दिनों पहले मृतक की मृत्यु हुई । इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षण के कंडिका -2 में आगे कहा कि घटना से एक रात पहले, उसका बेटा मेरे घर में था। उन्होंने आगे कहा कि इंदिरा देवी के बेटे राहुल सिंह ने लगभग 07:00-08:00 बजे दीपू कुमारी की हत्या की थी। इसके बाद शाम को उनका बेटा खाना खाने के बाद सो गया था। इस गवाह ने आगे कहा कि वह अपने घर पर थी। अपने गवाही के कंडिका -2 में, इस गवाह ने कहा कि राहुल की माँ रात 11:00 बजे उसके घर आई थीं और रंजीत से उसके बेटे का ठिकाना जानना चाहती थी और रंजीत ने उससे कहा कि उसे नहीं पता कि राहुल कहाँ है और उसके बाद राहुल की माँ लौट गई । व.सा.-2 चंपा कुएर ने अपने गवाही के कंडिका -3 में कहा कि उनका बेटा फिर से सो गया और वह सुबह 06:00 बजे अपने काम पर चला गया। यह गवाह आगे बताता है कि उसने मृतक के भागने के बारे में *हल्ला* सुना और उसके बाद उसने मृतक की हत्या के बारे में सुना। मृतक की हत्या करने के बाद उसे सरसों के खेत में फेंक दिया गया था । इस गवाह ने आगे कहा कि तीन-चार दिनों के बाद, इस मामले में उसके बेटे का नाम दिया गया था। उसके बेटे और मृतक के बीच कोई विवाद नहीं था।इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षण के कंडिका -5 में आगे कहा कि गाँव की प्रतिद्वंद्विता के कारण, उसके बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया है। व. सा.- 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह घटना की रात 09:00 बजे सोई गई थी। उसने आगे कहा कि वह सुबह 3:00- 04:00 बजे उठी । इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षण में आगे कहा कि बालेंद्र सिंह के परिवार के साथ विवाद के संबंध में कोई कागजात नहीं है। उसके पास गाँव वालों से विवाद के संबंध में कोई कागज और सबूत नहीं है। वह उसके बेटे का दूसरों के साथ संबंध के बारे में नहीं जानती हैं। ।घटना के बाद पुलिस स्वान दस्ता के साथ आई और स्वान मेरे घर के सामने सड़क पर बैठ गया और इस आधार पर पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली और मेरे

बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके बेटे का कपड़ा भी जब्त कर लिया। इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षण में आगे कहा कि उसके तीन बेटे हैं और रंजीत सबसे छोटा बेटा है।

25. अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए उपरोक्त गवाहों पर भरोसा करते हुए, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी-आरोपी को विचाराधीन घटना के संबंध में गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद उसका स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया गया है। उसी के आधार पर मृतक की एक चप्पल मिली। यह भी तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी के घर से जब्त किए गए अंतःवस्त्र और *गमछा* से खून और वीर्य मिला था, अतः अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की है।

26. हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का अध्ययन किया है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह पता चलता है कि विचाराधीन घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन पक्ष का मामला है कि संदेह के आधार पर, अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जाँच के दौरान, अंतःवस्त्र और *गमछा* अपीलार्थी के घर से बरामद किए गए। उक्त वस्तुओं पर खून के साथ-साथ वीर्य भी पाया गया। उसी को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था। इसके अलावा अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना स्थल से वीर्य, खून के धब्बों वाली मिट्टी के साथ-साथ ब्लेड भी एकत्र किया गया था जिससे मृतक की गर्दन काट दी गई थी और उन्हें आवश्यक विश्लेषण के लिए भेजा गया था। अब, अभियोजन पक्ष का मामला है कि सभी वस्तुओं पर मानव रक्त में एंटीजन-ए और एंटीजन-बी पाया गया था। हालाँकि, यह ध्यान रखना उचित है कि अभियोजन पक्ष मृतक और अपीलार्थी-अभियुक्त के रक्त समूह को रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक के साक्ष्य से यह पता चलता है कि अपीलार्थी के रक्त का नमूना संबंधित डॉक्टर द्वारा लिया गया था। हालाँकि, जब हमने केस डायरी की जाँच की, तो यह पता चलता है कि अपीलार्थी का रक्त समूह 'बी' है, लेकिन उक्त दस्तावेज़ को अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा हम अभियोजन पक्ष के मामले को समझने में विफल रहे कि मृतक की एक चप्पल अपीलार्थी-आरोपी के कहने पर केले के पौधे के पत्तों से ढकी हुई मिली थी। अपीलार्थी-अभियुक्त के लिए चप्पल छिपाने का कोई कारण नहीं था जब तथाकथित हत्या का हथियार, यानी, स्टेनलेस स्टील का ब्लेड, जिससे यह आरोप लगाया जाता है कि मृतक की गर्दन काट दी गई थी, मौके से मिला था।इसके अलावा अभियोजन पक्ष अभिलेख से यह इंगित करने में भी विफल रहा है कि मृतक के साथ बलात्कार किस स्थान पर किया गया है, चाहे वह घर पर हो या सरसों के खेत में। इसके अलावा यदि अपीलार्थी के कहने पर मृतक की चप्पल का पता चलता है तो यह रिकॉर्ड में सामने नहीं आ रहा है कि क्या मृतक स्वयं रात के समय चप्पल पहनकर घटना स्थल पर गई थी।

27. इस स्तर पर, हम दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 ए में निहित प्रावधानों का उल्लेख करना चाहेंगे, जो निम्नानुसार हैः

"53 ए. चिकित्सा पेशेवर द्वारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जांच -

(1) जब किसी व्यक्ति को बलात्कार का अपराध करने या बलात्कार करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होते हैं कि उस व्यक्ति की जांच से ऐसे अपराध के होने के बारे में सबूत मिलेंगे, तो यह सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी , तथा ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में , जहाँ अपराध हुआ हो उस स्थान से सोलह किलोमीटर के दायरे में किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया गया जाँच , और जो किसी ऐसे पुलिस पदाधिकारी के अनुरोध पर कार्य कर रहा हो जो जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं हो, और किसी भी व्यक्ति के लिए जो इस मामले में सद्भावना से कार्य कर रहा है उसकी सहायता और उसके निर्देश के तहत , गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी जांच करना और उस उद्देश्य के लिए उचित रूप से आवश्यक बल का उपयोग करना विधि संगत होगा।

(2) इस तरह की जांच करने वाला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसा व्यक्ति की अविलम्ब जांच करेगा और निम्नलिखित विवरण देते हुए अपनी जाँच का एक प्रतिवेदन तैयार करेगा अर्थात् -

"(i) अभियुक्त और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा उसे लाया गया था।

(ii) अभियुक्त की आयु,

(iii) अभियुक्त के चोट के निशान, यदि कोई हों,

(iv) डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण, तथा

(v) उचित रूप से अन्य सामग्री का विवरण

(3) प्रतिवेदन में प्रत्येक निष्कर्ष पर पहुंचने के सटीक कारण बताए जाएँगे।

(4) जाँच शुरू होने और पूरी होने का सही समय भी प्रतिवेदन में लिखा जाएगा।

(5) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी अविलम्ब अनुसंधानकर्ता को रिपोर्ट भेजेगा, जो इसे उस धारा की उप-धारा (5) के खंड (ए) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के हिस्से के रूप में धारा 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।"

27.1 उपरोक्त प्रावधान से, बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जाँच चिकित्सक द्वारा किया जाना आवश्यक है।

28. इस स्तर पर, हम छोटकाऊ (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 75 से 81 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

"75. यहां तक कि एक ऐसे मामले में भी जहां बलात्कार की पीड़िता जीवित थी और अदालत के समक्ष गवाही दी थी और आरोपी की भी एक डॉक्टर द्वारा जांच की गई थी, इस अदालत ने कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य में पाया कि

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त करने में विफलता घातक थी। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 40 इस प्रकार हैः

"40. अपीलार्थी की भी जाँच डॉक्टर द्वारा की गई थी, जिसने उसे संभोग करने में सक्षम पाया था। अभिरयोजिका के अंतःवस्त्र में, पुरुष वीर्य पाए गए थे, लेकिन इन्हें फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था, जो अपीलार्थी द्वारा अपराध करने के संबंध में किसी भी संदेह की छाया से परे निर्णायक रूप से साबित हो सकते थे। अभियोजन पक्ष की ओर से यह कमी घातक साबित होती है और अपीलार्थी के पक्ष में जाती है।"

76. नव अंतःस्थापित धारा 53 ए के दायरे पर, इस न्यायालय ने कृष्ण कुमार मलिक (उपर्युक्त) में इस प्रकार कहाः

"44.अब, दंड प्रक्रिया संहिता, में धारा 53ए, 23.06.2006 से प्रभावी ,को शामिल करने के बाद प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वाराहमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है की अभियोजन पक्ष के लिए इस तरहके मामलों में डी. एन. ए. परीक्षण के लिए जाना आवश्यक हो गया है, जिससे अभियोजन पक्ष को आरोपी के खिलाफ अपना मामला साबित करने में मदद मिलती है। 266 से पहले, द.प्र.सं. में उपरोक्त विशिष्ट प्रावधान के बिना भी अभियोजन पक्ष डी. एन. ए. परीक्षण या विश्लेषण प्राप्त करने और अपीलार्थी के वीर्य का अभिरयोजिका के अंडरगारमेंट्स पर पाए जाने वाले वीर्य के साथ मिलान करने की इस प्रक्रिया का सहारा ले सकता था ताकि अचूक मामला बनाया जा सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।"

77. यह सच है कि इस न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य में संकेत दिया कि धारा 53ए अनिवार्य नहीं है। यह उक्त निर्णय के पैराग्राफ 40 और 50 में इस प्रकार आयोजित किया गया थाः-

"49. जबकि द.प्र.सं. की धारा 53-ए अनिवार्य नहीं है, यह एक सकारात्मक निर्णय के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। यह विश्वास करने के लिए उचित आधार अवश्य होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की जाँच, बलात्कार के अपराध या बलात्कार करने के प्रयास के बारे में प्रमाण देगी। यदि उचित आधार उपलब्ध हैं, तो द. प्र. सं. की धारा 53-ए(2) द्वारा अभिनिर्धारित चिकित्सा जांच अवश्य की जानी चाहिए और जिसमें आरोपी की जांच और डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी के व्यक्ति से ली गई सामग्री का विवरण निहित है। एक अन्य दृष्टिकोण से देखे जाने पर, यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त की जांच से ऊपर बताए गए अपराध के होने के बारे में सबूत नहीं मिलेगा, तो यह प्रबल संभावना है कि अभियुक्त के खिलाफ बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का अपराध करने के लिए आरोप पत्र भी दायर नहीं किया जाएगा।

50. इसी तरह, जहां भी संभव हो, बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164-ए की आवश्यकता होती है। बेशक, पीड़ित की सहमति आवश्यक है और जाँच आयोजित करने वाले व्यक्ति को पीड़ित की चिकित्सकीय जांच करने में सक्षम होना चाहिए। पुनः, चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकताओं में से एक,

पीड़िता की जांच और डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के लिए महिला से ली गई सामग्री का विवरण है।"

78. यह कहने के बाद कि धारा 53ए अनिवार्य नहीं है, इस न्यायालय ने उक्त निर्णय के कंडिका 54 में पाया कि अभियोजन पक्ष की डीएनए साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता, एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की गारंटी देती है। कंडिका 54 इस प्रकार हैः-

"54. अभियोजन पक्ष द्वारा डी. एन. ए. साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, विशेष रूप से जब देश में डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है। अभियोजन पक्ष को इसका लाभ उठाने की अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी, विशेष रूप से धारा 53-ए और धारा 164-ए सीआरपीसी के प्रावधानों को देखते हुए। हम इस हद तक नहीं जा रहे हैं कि अगर कोई डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग नहीं है, तो अभियोजन पक्ष का मामला साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम निश्चित रूप से इस विचार से सहमत हैं कि जहां डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग नहीं की गई है या इसे निचली अदालत से रोक दिया गया है, अभियोजन पक्ष के लिए एक प्रतिकूल परिणाम होगा।"

79. इस स्तर पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 2005 के उसी संशोधन अधिनियम 25 द्वारा, जिसके द्वारा धारा 53ए समाहित गई थी, संहिता में धारा 164ए भी समाहित की गई थी। जहां धारा 53 ए बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सा जांच को सक्षम बनाती है, वहीं धारा 164ए बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा जांच को सक्षम बनाती है। ये दोनों प्रावधान कुछ हद तक समान हैं और इन्हें लगभग एक-दूसरे की प्रतिबिम्ब कहा जा सकता है। लेकिन तीन अंतर हैं। वे इस प्रकार हैंः-

(i) धारा 164 ए में बलात्कार की शिकार महिलाओं की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक रूप से, पीड़िता की चिकित्सा जांच से पहले उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए थी।धारा 53 ए ऐसी किसी भी सहमति के बारे में नहीं बताती है;

(ii) धारा 164 ए में अन्य बातों के अलावा, महिलाओं की सामान्य मानसिक स्थिति को शामिल करने के लिए चिकित्सक की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। यह धारा 53ए में अनुपस्थित है।

(iii) धारा 164ए (1) के तहत, एक पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर द्वारा चिकित्सा जांच अनिवार्य है, जब जांच के दौरान "महिला की चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा जांच कराने का प्रस्ताव है"। यह इन शब्दों के उपयोग से पता चलता है, "ऐसी जाँच आयोजित की जाएगी"। इसके विपरीत, धारा 53ए (1)एक पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करना वैध बनाती है यदि "यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि उसके व्यक्ति की जांच से इस तरह के अपराध के होने के बारे में सबूत मिलेगा"।

80. जिन मामलों में बलात्कार की पीड़िता जीवित है और अदालत में गवाही देने की स्थिति में है, अभियोजन पक्ष के लिए, अभियुक्त की चिकित्सकीय जाँच न करके एक अवसर लेना, संभव हो सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां पीड़ित की मृत्यु हो गई है और अपराध को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने की मांग की

जाती है, चिकित्सा साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है।अभियुक्त या किसी की ओर से कोई बाधा नहीं होने के बावजूद, इस तरह के साक्ष्य पेश करने में अभियोजन पक्ष की विफलता निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले में एक बड़ा अंतर पैदा करेगी और अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर संदेह पैदा करेगी। हम इस सवाल में नहीं जाना चाहते कि धारा 53 ए अनिवार्य है या नहीं। धारा 53 ए अभियोजन पक्ष को आरोप साबित करने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की अपीलार्थी की चिकित्सा जांच करने में विफलता निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है, विशेष रूप से जब नेत्र साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाया जाता है।

81. पीड़ित द्वारा पहने गए सलवार पर खून/वीर्य के दाग पर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त करने में उनकी विफलता, अभियोजन पक्ष की विफलता को बढ़ाती है।"

29. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों से, यह कहा जा सकता है कि हालांकि धारा 53ए Cr.PC. अनिवार्य नहीं है, परन्तु जहां डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं की गई है या इसे निचली अदालत से रोक दिया गया है, अभियोजन पक्ष के लिए एक प्रतिकूल परिणाम होगा। यह आगे पता चलता है कि जहाँ पीड़िता की मृत्यु हो गई है और अपराध को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने की कोशिश की जाती है, वहाँ चिकित्सा साक्ष्य बहुत महत्व रखता है। अभियुक्त या किसी की ओर से कोई बाधा नहीं होने के बावजूद, इस तरह के साक्ष्य पेश करने में अभियोजन पक्ष की विफलता निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के मामले में अंतर और अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर संदेह को जन्म देता है।

30. उपरोक्त निर्णय और कानून के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि हालांकि एफएसएल ने रक्त के नमूनों की सीरोलॉजी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो घटना स्थल और अपीलार्थी के घर से जब्त की गई वस्तुओं से एकत्र किए गए थे, परन्तु यह पता नहीं चलता है कि सभी वस्तुओं पर पाया गया रक्त अपीलार्थी-अभियुक्त का था। इसके अलावा, इस स्तर पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि हमने केस डायरी की भी जांच की, जिससे यह पता चलता है कि डीएनए प्रोफ़ाइल प्राप्त की गई थी और यहां तक कि उंगलियों के निशान भी लिए गए थे। तथापि, उसकी रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है और उसे प्रदर्शित नहीं किया गया है, इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने, उसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, विचारण न्यायालय से उक्त सामग्री छिपाया है और इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों में, अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है।

31. इस स्तर पर, हम **शरद बिरधीचंद सारदा** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 150 से 160 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

"150. यह पूर्णतः स्थापित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को सफलता या विफलता स्वयं के क्षमता पर प्राप्त करना चाहिए और बचाव पक्ष की कमजोरी से कोई सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकता है। यह एक लघु कानून है और किसी भी निर्णय ने इसके विपरीत दृष्टिकोण नहीं लिया है। कुछ मामलों में जो हुआ है वह केवल यह हैः जहां एक श्रृंखला में विभिन्न संबंध अपने आप में पूर्ण हैं, तो एक झूठी याचिका या एक झूठे बचाव को केवल अदालतको आश्वासन देने के लिए सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त कड़ी का उपयोग करने से पहले यह साबित किया जाना चाहिए कि श्रृंखला में सभी कड़ी पूर्ण हैं और किसी भी दुर्बलता से पीड़ित नहीं हैं। यह कानून नहीं है कि जहां अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमजोरी या कमी है, उसे एक ऐसे झूठे बचाव या एक याचिका द्वारा ठीक या प्रदान किया जा सकता है जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

151. उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, उन पर चर्चा करने से पहले हम आपराधिक मामले में आवश्यक प्रकृति, चरित्र और आवश्यक सबूत पर कुछ निर्णयों का हवाला देना चाहेंगे जो केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करते हैं। इस न्यायालय का सबसे मौलिकऔर बुनियादी निर्णय हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 एस. सी. आर.1091 हैः(ए. आई. आर 1952 एस. सी. 343)। इस मामले का समान रूप से पालन किया गया है और इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में बाद के निर्णयों में लागू किया गया है, उदाहरण के लिए, तुफैल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1969) 3 एस. सी. सी. 198 , और रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 656 के मामले। जे. महाजन ने हनुमंत के मामले में (ए.आई.आर के पृष्ठ 345-46 पर)(उपरोक्त) जो कहा है, उसे उल्लिखित करना उपयोगी हो सकता हैः

"यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। पुनः, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को परे कर दिया जाए, अतिरिक्त उसके जिसे साबित करना प्रस्तावित है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण साक्ष्य की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है। और यह ऐसा होना चाहिए जिससे यह पता चले कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।"

152. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया

किसंबंधित परिस्थितियाँ 'आवश्यक रूप से स्थापित होनी चाहिए या स्थापित होनी चाहिए' और नहीं कि "स्थापित की जा सकती हैं "। जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एस.सी.सी. 793 (ए.आई.आर.1973 एस.सी. 2622) में अभिनिर्धारित किया था, 'साबित किया जा सकता है' और ' अवश्य साबित किया जाना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए' के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एकविधिक अंतर है, जहाँ टिप्पणी किए गए थेः

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले अवश्य दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी हो सकता है और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

153. ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।

154. यह ध्यान रखना रुचिकर हो सकता है कि जहां तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आपराधिक मामले में सबूत के तरीके का संबंध है, एक काय अपराध के अभाव में, उसी के सबूत के रूप में विधि का वक्त्वय, ग्रेसन, जे. (और 3 और न्यायाधीशों द्वारा सहमति व्यक्त की गई) द्वारा द किंग बनाम हॉरी, (1952) एन. जेड. एल. आर. 111 में इस प्रकार रखा गया थाः

"इससे पहले कि उसे दोषी ठहराया जा सके, मृत्यु के तथ्य को ऐसीपरिस्थितियों से साबित किया जाना चाहिए जो अपराध को नैतिक रूप से सुनिश्चित करती हैं और उचित संदेह के लिए कोई आधार नहीं छोड़ती हैंः परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतना ठोस और सम्मोहक होना चाहिए कि एक न्यायपीठ को यह समझाया जा सके कि हत्या के अलावा उन तथ्यों द्वारा कोई भी अन्य तर्कसंगत परिकल्पना नहीं की जा सकती है।

155. लॉर्ड गोडार्ड ने 'नैतिक रूप से निश्चित' अभिव्यक्ति को 'ऐसी परिस्थितियों से संशोधित किया जो अपराध को निश्चित बनाती हैं'।

156. यह आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत को इंगित करता है कि एक मामले को केवल तभी साबित किया जा सकता है जब निश्चित और स्पष्ट साक्ष्य हो और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक दोषसिद्धि पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हॉरी के मामले

(उपरोक्त) को इस न्यायालय द्वारा अनंत चिंतामन लागू बनाम बॉम्बे राज्य, (1960) 2 एस. सी. आर. 460 (ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 500) में अनुमोदित किया गया था। लागू के मामले के साथ-साथ हनुमंत के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का बिना किसी एक अपवाद के इस न्यायालय के बाद के सभी फैसलों में समान रूप से और लगातार पालन किया गया है। कुछ मामलों को उद्धृत करने के लिए - तुफैल मामला (1969) 3 एस. सी. सी. 198 (उपरोक्त), रामगोपाल का मामला (ए.आई. र. 1972 एस. सी. 656) (उपरोक्त),चंद्रकांत न्यालचंद सेठ बनाम बॉम्बे राज्य (1957 की आपराधिक अपीलसंख्या 120, 19-02-1958 को निष्पादित), धरमबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1958 की आपराधिक अपील संख्या 98, 04-11-1958 को निष्पादित)। ऐसे कई अन्य मामले हैं जहां हालांकि हनुमंत के मामले पर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हीं सिद्धांतों को स्पष्ट और दोहराया गया है, जैसा कि नसीम अहमद बनाम दिल्ली प्रशासन, (1974) 2 एससीआर 694(696):(ए. आई. आर. 1974 एस. सी.691 पी. 693), मोहन लाल पंगासा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1144 (1146), शंकरलाल ग्यारासीलाल दीक्षित बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1981) 2 एस.सी.आर. 384 (390): (ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 765 पी. 767) और एम. जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1963) 2 एससीआर 405 (419):(ए.आई.आर. 1963 एस.सी.200 पी.206)पाँच -न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय।

157. देवनंदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य, (1955) 2 एस. सी. आर. 570(582) : (ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 801, पी. 806) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही जोरदार तर्क पर ध्यान देना यहां आवश्यक हो सकता है , उनके इस तर्क के पूरक के रूप में कि यदि बचाव पक्ष का मामला गलत है तो यह एक अतिरिक्त कड़ी का गठन करेगा ताकि अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत किया जा सके। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के प्रति उचित सम्मान के साथ हम उपरोक्त मामले के बारे में उनके द्वारा दी गई व्याख्या से सहमत होने में असमर्थ हैं, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार निकाला जा सकता हैः

"लेकिन इस तरह के मामले में जहां ऊपर बताए गए विभिन्न कड़ियाँ संतोषजनक रूप से बनाए गए हैं और परिस्थितियां अपीलार्थी को समय और स्थिति के संबंध में उचित निश्चितता और मृतक की निकटता के साथ संभावित हमलावर के रूप में इंगित करती हैं। स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति या गलत स्पष्टीकरण अपने आप में एक अतिरिक्त कड़ी होगी जो श्रृंखला को पूरा करती है।"

158. यह देखा जाएगा कि इस न्यायालय ने स्पष्टीकरण के अभाव या गलत स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यह श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी होगी, लेकिन इन टिप्पणियों को इस न्यायालय ने पहले जो कहा था, उसके आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। इससे पहले कि एक गलत स्पष्टीकरण को अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, निम्नलिखित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(1) अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न कड़ियाँ संतोषजनक रूप से साबित हुए हैं,

(2) उक्त परिस्थिति उचित निश्चितता के साथ अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है, और

(3) परिस्थिति , समय और स्थिति के निकट है ।

159. यदि इन शर्तों को पूरा किया जाता है, तो केवल तब न्यायालय , न्यायालय को आश्वासन देने के लिए एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में गलत स्पष्टीकरण या झूठे बचाव का उपयोग कर सकती है, अन्यथा नहीं। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है। शंकरलाल के मामले (ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 765) (उपरोक्त) में इस पहलू की जांच की गई थी, जहाँ इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"इसके अलावा, बचाव पक्ष का झूठ उन तथ्यों के प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है जिन्हें अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना पड़ता है। एक झूठी याचिका को एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है, अगर अन्य परिस्थितियाँ आरोपी के अपराध की ओर इशारा करती हैं।"

160. इसलिए यह न्यायालय हनुमंत के मामले (ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 343) (ऊपर) में निर्धारित पाँच शर्तों से किसी भी तरह से अलग नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से, हालांकि, ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय का गलत अर्थ निकाला है और अपीलार्थी द्वारा रखे गए तथाकथित झूठे बचाव का उपयोग श्रृंखला से जुड़ी अतिरिक्त परिस्थितियों में से एक के रूप में किया है। परिस्थितियों की एक अधूरी श्रृंखला और एक ऐसी परिस्थिति जिसेश्रृंखला पूरी होने के बाद, केवल न्यायालय के निष्कर्ष को मजबूत करने के लिए इसमें जोड़ा जाता है, के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। जब अभियोजन पक्ष हनुमंत के मामले में निर्धारित किसी भी आवश्यक सिद्धांत को साबित करने में असमर्थ होता है, तो उच्च न्यायालय झूठे बचाव या झूठी याचिका की सहायता या सहारा लेकर ,कमजोरी या कमी की आपूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।"

32. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय से यह कहा जा सकता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले को पूरी तरह से स्थापित कहा जा सकने के पहले कुछ शर्तों को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। सबूतों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि आरोपी की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य आरोपी द्वारा किया गया होगा और किसी अन्य के द्वारा नहीं । अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न कड़ियों को संतोषजनक रूप से साबित करना होगा।

33. हम इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अंजन कुमार शर्मा बनाम असम राज्य** (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख और उस पर भरोसा करना चाहेंगे , जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 14,17 और 23 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

"14. मान लीजिए, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों के निर्णय में ध्यान में रखे जाने वाले कारक हैंः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हेंपूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ, स्थापित "अवश्य होनी चाहिए" या "होनी चाहिए" और नहीं की "स्थापित की जा सकती हैं"।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात वे किसी अन्य परिकल्पना परसमझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए तथा

(5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। (शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एस. सी. सी. , पृष्ठ . 185, कंडिका 153; एम. जी. अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. एस. सी. कंडिका 18 देखें)

XXX XXX XXX

17. यह स्थापित विधि है कि अदालत द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्थापित तथ्यों के आधार पर होने चाहिए न कि अनुमानों पर। (देखें - सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य [सुजीत विश्वास बनाम असम राज्य, (2013) 12 एस.सी.सी.406 : (2014)1 एस.सी.सी. (सीआरआई) 677], एससीसी कंडिका 13-18।) उच्च न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया था कि मृत्यु 28 12-1992 को 48 घंटे के समय के भीतर हुई थी जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, वह सही नहीं है।पोस्टमॉर्टम की जाँच 30-12-1992 को दोपहर 12.00 बजे पर की गई थी और अ.सा. - 11 द्वारा यह राय दी गई थी कि मृत्यु पोस्टमॉर्टम की जाँच के समय से 24 से 48 घंटे पहले हुई थी। भले ही समय को अधिकतम 48 घंटे तक बढ़ाया गया हो, मृत्यु 12.00 दोपहर के बाद 28-12-1992 को हुई थी। मृतक 27-12-1992 को रात 9 बजे तक आरोपी के साथ था। उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि अभियुक्त ने 28-12-1992 को रात के समय मृतक की हत्या कर दी थी और शव को रेलवे पटरी पर फेंक दिया था, किसी भी सिद्ध तथ्यों के आधार पर नहीं है। निचली अदालत का यह मानना सही है कि यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक 28-12-1992 को दोपहर 12.00 बजे के बाद आरोपी के साथ था।

XXX XXX XXX

23. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में जहां अन्य कड़ियाँ संतोषजनक रूप से बनाए गए हैं और परिस्थितियां अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हैं, पिछली बार एक साथ देखे जाने कीपरिस्थिति और स्पष्टीकरण का अभाव एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करेगा जो श्रृंखला को पूरा करता है। अन्य परिस्थितियों के साक्ष्य के अभाव में, अंतिम बार एक साथ देखी गई एकमात्र परिस्थिति और संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है। श्री वेंकटरमानी द्वारा उद्धृत इस मुद्दे पर अन्य निर्णय एक अलग दृष्टिकोण नहीं लेते हैं और इसलिए, उन्हें स्वीकार करने की वश्यकतानहीं है। उन्होंने अपनी इस दलील के समर्थन में गोवा राज्य बनाम संजय ठाकुरन मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया कि अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति उस मामले में एक प्रासंगिक परिस्थिति होगी जहां किसी अन्य व्यक्ति के, घटना स्थल पर या बीच की अवधि में अपराध करने से पहले मृतक से मिलने या संपर्क करने की, कोई संभावना नहीं थी। उपरोक्त निर्णय में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था (एस.सी. सी.पृष्ठ 776, कंडिका 34)

"34. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत से, अभियुक्त को आरोपित अपराध का दोषी ठहराने के लिए आम तौर पर अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति को ध्यान में रखा जाएगा, जब अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित किया जाएगा कि अभियुक्त और मृतक के एक साथ जीवित पाए जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय इतना कम है कि मृतक के साथ किसी अन्य व्यक्ति के होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। मृतक की संगति में देखे गए अभियुक्त व्यक्तियों और अपराध का पता लगने के बीच का समय अंतराल साक्ष्य की सराहना करने और अभियुक्त के खिलाफ एक परिस्थिति के रूप में उस पर भरोसा करने के लिए एक भौतिक विचार होगा। लेकिन, सभी मामलों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आखिरी बार एक साथ देखे गए साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि आरोपी व्यक्तियों और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखे जाने तथा अपराध का पता लगने के बीच का समय अंतराल विचारणीय रूप से काफी लम्बा हो। इस संबंध में समय अंतराल की अवधि के लिए कोई निश्चित या स्पष्ट सिद्धांत नहीं हो सकता है और यह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर निर्भर करेगा की मध्यवर्ती अवधि में किसी अन्य व्यक्ति के मृतक से मिलने की संभावना को दूर किया जा सके, अर्थात, यदि अभियोजन पक्ष इस तरह के साक्ष्यको प्रस्तुत करने में सक्षम है कि यदि अभियुक्त, अपराध का लेखक होने के नाते , के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के होने की संभावना असंभव हो जाता है, तो पिछली बार एक साथ देखी गई परिस्थिति का साक्ष्य, हालांकि समय की लंबी अवधि है, ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में परिस्थितियों में से एक माना जा सकता है। इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, घटना के स्थान पर या अपराध होने से पहले किसी अन्य व्यक्ति के मृतक से मिलने या संपर्क करने की कोई संभावना नहीं थी, तो बीच की अवधि में, अंतिम बार एक साथ देखे गए साक्ष्य प्रासंगिक साक्ष्य होंगे। उदाहरण के लिए, यदि यह प्रदर्शित किया जा

सकता है कि आरोपी व्यक्तियों के पास उस स्थान का विशेष अधिकार था जहां घटना हुई थी या जहां उन्हें आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था, और किसी तीसरे पक्ष द्वारा उस स्थान पर किसी भी घुसपैठ की कोई संभावना नहीं थी, तो अपेक्षाकृत व्यापक समय अंतराल अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करेगा।"

34. हम , माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रवि बनाम कर्नाटक राज्य** (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख और उस पर भरोसा करना चाहेंगे। जिसमें माननी य उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 3 और 5 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

"3. अपीलार्थी-अभियुक्त और मृतक के साथ सुमा (अ.सा. - 1) और रामा नायक (अ.सा.- 2), 26.12.2004 को एक साथ थे, सटीकसमय दोपहर लगभग 1:30 बजे था। चार (4) दिनों के अंतराल के बाद अर्थात 30-12-2004 को शव बरामद किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत पोस्टमॉर्टम के समय से 30 घंटे पहले हुई थी। इसलिए, चिकित्सा साक्ष्य इस तथ्य का संकेत देंगे कि शव 26-12-2004 के दोपहर 1:30 बजे के लगभग दो (2) दिनों के बाद बरामद किया गया था।

5. "आखिरी बार एक साथ देखा जाना निश्चित रूप से एक आरोपी के खिलाफ मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक भाग है। तथापि, जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है, मृत्यु की घटना और जब अभियुक्त को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था, के बीच का समय-अंतराल अपराध का निष्कर्ष निकालने की अनुमति देने के लिए यथोचित रूप से करीब होना चाहिए। जब समय-अंतराल काफी बड़ा होता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो अदालत के लिए पुष्टि की तलाश करना उचित होगा। वर्तमान मामले में, कोई पुष्टि नहीं हो रही है। किसी भी अन्य परिस्थिति के अभाव में जो अपीलार्थी-अभियुक्त को कथित अपराध से जोड़ सकती है, सिवाय इसके कि जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है और "अंतिम बार एक साथ देखा गया" की परिस्थिति की किसी भी पुष्टि के अभाव में, हमारा विचार है कि अपीलार्थी-अभियुक्त की उनके खिलाफ कथित अपराध में संलिप्तता के संबंध में एक उचित संदेह पर विचार किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत बोझ उपरोक्त तथ्य स्थिति में नहीं बदलेगा, एक ऐसी स्थिति जिस पर इस न्यायालय ने मल्लेशप्पा बनाम कर्नाटक राज्य [मल्लेशप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 13 एस.सी.सी. 399 : (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 394] जिसमें मोहिबुर रहमान बनाम असम राज्य [मोहिबुर रहमान बनाम असम राज्य, (2002) 6 एस.सी.सी.715 : 2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1496] में इस न्यायालय का पूर्व दृष्टिकोण उद्धृत किया गया है। मोहिबुर रहमान बनाम असम राज्य, (2002) 6 एस. सी.सी. 715 में उक्त दृष्टिकोण 2002 एस.सी. सी. (सी.आर.आई.) 1496] को नीचे लाभप्रद रूप से उद्धृत किया जा सकता हैः (मल्लेशप्पा मामला [मल्लेशप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 13 एस. सी. सी. 399: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 394], एस. सी. सी. पृष्ठ 408, कंडिका 23)

"23. ... '10. आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि यह आरोपी ही था जिसने अपराध किया था।अभियुक्त और अपराध के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कुछ और होना चाहिए।ऐसे मामले हो सकते हैं जहां, आरोपी के मृतक के साथ आखिरी बार देखे जाने की घटना और मृत्यु के तथ्य के बीच स्थान और समय की निकटता के कारण, एक तर्कसंगत मस्तिष्क को एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए राजी किया जा सकता है कि या तो अभियुक्त को यह बताना चाहिए कि पीड़ित की मृत्यु कैसे और किन परिस्थितियों में हुई या उसे हत्या के लिए स्वयं उत्तरदायी होना चाहिए। वर्तमान मामले में समय और स्थान की ऐसी कोई निकटता नहीं है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि जिस तारीख को मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था, उसके लगभग 14 दिन बाद शव बरामद किया गया है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी लगभग 30-40 किमी है। दो अभियुक्त व्यक्तियों के मृतक के साथ चले जाने और इस प्रकार आखिरी बार एक साथ देखे जाने की घटना (द्वारा - लिलिमा राजबोंगशी, अ.सा.- 6) समय या स्थान के संदर्भ में पीड़ित की मृत्यु के साथ इतनी निकटता नहीं रखती है। डॉ. रतन सीएच दस के अनुसार मृत्यु 9-2-1991 से 5 से 10 दिन पहले हुई थी। चिकित्सा साक्ष्य स्थापित नहीं करता है, और यह मानने के लिए कोई अन्य प्रमाण उपलब्धनहीं है कि मृतक की मृत्यु 24-1-1991 को या उसके तुरंत बाद हुई थी। जहाँ तक अभियुक्त मोहिबुर रहमान की बात है, यह उसके खिलाफ उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एकमात्र भाग है। हम पहले ही जब्ती के बारे में सबूतों पर चर्चा कर चुके हैं और यह मानते हैं कि उसे किसी भी जब्ती से नहीं जोड़ा जा सकता है। केवल इसलिए कि उसे अंतिम बार मृतक के साथ उसकी मृत्यु से कुछ अनिश्चित दिनों पहले देखा गया था, उसे मृतक की मृत्यु का कारण बनने के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जहां तक भा. द. वी. की धारा 201 के तहत अपराध का संबंध है, उसके खिलाफ नाम के लायक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वह बरी होने काहकदार है।' (मोहिबुर रहमान [मोहिबुर रहमान बनाम असम राज्य, (2002) 6 एससीसी 715:2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1496], एस.सी.सी. पृष्ठ. 720-21, कंडिका 10) "

35. इस स्तर पर, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा , **रीना हजारिका बनाम असम राज्य** (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहते हैं और उस पर भरोसा करना चाहते हैं , जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 9 में टिप्पणी की है।

इसके अंतर्गतः

"9. परिस्थितिजन्य साक्ष्य की अनिवार्यताएं उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित हैं और हम इसे दोहराना और आदेश पर अनावश्यक रूप से बोझ डालना आवश्यक नहीं मानते हैं । यह देखने के लिए पर्याप्त है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की श्रृंखला के संबंधों में निरंतरता स्थापित करने की आवश्यकता होती है, ताकि आरोपी के हमलावर होने की एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, जो आरोपी की निर्दोषता के साथ संगत किसी अन्य परिकल्पना की संभावना के साथ असंगत

हो। किसी मामले में तथ्यों और साक्ष्य के बिना केवल अंतिम बार देखे गए सिद्धांत का आह्वान, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि अभियोजन पक्ष पहले एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं करता है। यदि परिस्थितियों की श्रृंखला में संबंध पूर्ण नहीं हैं, और अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असमर्थ है, इस संभावना को खुला छोड़ते हुए कि घटना किसी अन्य तरीके से हुई होगी, तो जिम्मेदारी अभियुक्त पर नहीं जाएगी, और संदेह का लाभ देना होगा।"

36. उपरोक्त निर्णय से यह कहा जा सकता है कि यदि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असमर्थ है और इस संभावना को खुला छोड़ देता है कि घटना किसी अन्य तरीके से हुई होगी, तो जिम्मेदारी अभियुक्त पर नहीं जाएगी और संदेह का लाभ अभियुक्त को देना होगा। इसके अलावा, तथ्यों और किसी मामले में साक्ष्य के बिना अंतिम बार देखे गए सिद्धांत का केवल आह्वान, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत आरोपी पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि अभियोजन पक्ष पहले एक *प्रथम दृष्टया* मामला स्थापित नहीं करता है।

37. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। ।इसके अलावा इस प्रकार स्थापित तथ्य अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को परे करना चाहिए, और सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्थापित तथ्यों के आधार पर होने चाहिए न कि अनुमानों के आधार पर।

38. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष पूरी श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा है और यहां तक कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके यह साबित करने में भी विफल रहा है कि अपीलार्थी-अभियुक्त को अंततः मृतक के साथ देखा गया था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी-अभियुक्त को बरी किए जाने की आवश्यकता है।

39. वर्तमान मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम इस अपील को स्वीकार करने के पक्ष में हैं और तदनुसार, अपील स्वीकृत किया जाता है। 2013

के कथैया थाना कांड सं. 14 से उद्भूत 2013 के सत्र वाद सं. 523 में विद्वान 7वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द तथा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी, रंजीत ठाकुर उर्फ रंजीत कुमार को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से मुक्त किया जाता है। चूंकि उपरोक्त नामित अपीलार्थी जेल में है, इसलिए यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है ।

40. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अपीलार्थी-अभियुक्त ने जुर्माना जमा किया है, तो उसे वापस कर दिया जाए ।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

के. सी. झा / संजय

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।